

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 174 वर्ष 2024

आवेदक- सीताराम महतो वगै०

केता- गुंजरी देवी

ग्राम- आहरडीह

ग्राम- आहरडीह

थाना- नावाडीह

जिला-बोकारो

थाना- नावाडीह

जिला-बोकारो

आदेश की क्र०
सं० तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख का
03

आदेश

यह वाद आवेदक-1. सीताराम महतो पिता-स्व० भीखन महतो 2. बेनी महतो पिता-स्व० हेशो महतो 3. डेग नारायण महतो पिता-स्व० नेमा महतो, वर्तमान निवास पता ग्राम-आहरडीह, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
आहरडीह	53	41	587	93 डी०	08 डी०	धान खेत वर्णित
		41	587	93 डी०	3½ डी०	स्वरूप खेत
		03	588	16 डी०	08 डी०	

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो० 1,44,398/- (एक लाख चौवालीस हजार तीन सौ अनठानबे) रुपये में केता-गुंजरी देवी पति-उत्तम ठाकुर का मूल एवं वर्तमान पता ग्राम-आहरडीह, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1115/रा०, दिनांक 09.10.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी नावाडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी नावाडीह के पत्रांक-220 दिनांक-17.03.2025 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता जाति के कुरमी (महतो) एवं क्रेता जाति के नाई हजाम के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान खाता सं० 41 मोहीत महतो वगै० के नाम से दर्ज है एवं खाता सं० 03 उत्तीम राम महतो वगै० के नाम से दर्ज है। तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं०-95/III में मंगल महतो वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है जमाबंदी कायम होने का आधार सर्वे खतियान है तथा लगान रसीद वर्ष 1995-96 तक रसीद निर्गत है। एवं खाता सं० 03 सरकारी पंजी-II के पृष्ठ सं०-96/III में उचित राम महतो वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 1991-92 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध परदादा का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में है।
04. प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियानखाता सं० 41 मोहीत महतो वगै० के नाम से दर्ज है एवं खाता सं० 03 उत्तीम राम महतो वगै० के नाम से दर्ज है। तथा सरकारी

M

अभिलेख पंजी-॥ के पृष्ठ सं०-९५/III में मंगल महतो वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है जमा कायाम होने का आधार सर्वे खतियान है तथा लगान रसीद वर्ष १९९५-९६ तक रसीद निर्गत है। खाता सं० ०३ सरकारी पंजी-॥ के पृष्ठ सं०-९६/III में उचित राम महतो वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष १९९१-९२ तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन का देखा है। उक्त जमीन कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

०१. बिक्रेता- खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।
०२. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता जाति के कुरमी (महतो) एवं क्रेता जाति के नाई हजाम के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान से प्राप्त है तथा हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक-१. सीताराम महतो पिता-स्व० भीखन महतो २. बेनी महतो पिता-स्व० हेशो महतो ३. डेग नारायण महतो पिता-स्व० नेमा महतो, वर्तमान निवास पता ग्राम-आहरडीह, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिकी रकबा	उ० सीमा	द० सीमा	पू० सीमा	प० सीमा
आहरडीह ५३	४१	५८७	९३ डी०	०८ डी०	सोमर ठाकुर	उत्तम ठाकुर	देवीलाल महतो	दर्शन महतो वगै०
	४१	५८७	९३ डी०	३½ डी०	लालचन्द नापित	देवीलाल महतो	दर्शन महतो एवं रामेश्वर महतो वगै०	सीताराम महतो
	०३	५८८	१६ डी०	०८ डी०	दर्शन महतो	भुनेश्वर महतो वगै०	दर्शन महतो वगै०	हरखलाल महतो वाके है
कुल				१९½ डी०	(उन्नीस पूर्णांक एक बटा दो डिसमिल जमीन मात्र)			

मो० १,४५,०००/- (एक लाख पैतालिस हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-गुंजरी देवी पति-उत्तम ठाकुर का मूल एवं वर्तमान पता ग्राम-आहरडीह, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।